न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ....तारासिंह........ बनाम ....हरमानसिंह........

किस्म मुकदमा ....212 आर.टी.एक्ट........ मु0नं0 ....203........ सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27 / 10 / 20	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 27.11.2020 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ0ख0नं0 280 / 0.2782 है0 वाके ग्राम रामनगर तह0 कोटकासिम जिला अलवर की विवादित आराजी के किसी भी जुज में नींव आदि खोदकर कोई भी कच्चा या पक्का निर्माण ना करे, मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 27.11.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
27/11/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित ~~प्रतिवक्तागण~~ कोविड/ ने कार्य स्थगित किया हुआ है। पत्रावली में दि0 5.3.21 को पेश हो
5/3/21 तारासिंह	प्रार्थी स्वयं उप0। प्रार्थी के अपना वाद [illegible] करना लिखा है। इसलिए प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। [illegible] होकर [illegible] हो [illegible] वाद हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dl
Meena
Date: 2022.05.07 10:37:43 I
Reason: SelfAttested